न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :— 197/2005 (223 आर0टी0एक्ट0)
आरसीएमएस संख्या :— 2005/00141

उनवान

1. गीता देवी पत्नी बाबू सिंह } जाति गूजर नि0 बीनारायन गेट भरतपुर तह0 व जिला भरतपुर।
2. लक्ष्मी देवी पत्नी यादराम }
3. रघुनाथी पत्नी नवल सिंह जाति गूजर निवासी बुद्ध की हाट भरतपुर।

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. सरमन सिंह } पुत्र श्याम सिंह जाति सिक्ख नि0 बीस मोरा मौजा अघापुर हाल आबाद कुम्हेर
2. नक्षत्र सिंह } गेट भरतपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर।
4. अशोक कुमार } पुत्र कैलाशचन्द गोयल जाति वैश्य नि0 कमला रोड कुम्हेर गेट भरतपुर।
5. वृजमोहन }
6. सहजो पत्नी उदय सिंह } जाति गूजर निवासी अटलबन्द धाऊ पायसा भरतपुर।
7. कृपाली पत्नी विजय सिंह }

..... रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 12.07.2005 प्रकरण संख्या 20/75 उनवान सरमन सिंह बनाम नक्षत्र सिंह न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर।

अभिभाषकगण :—

1. श्री महाराज सिंह डागुर अभिभाषक अपीलाण्ट उपस्थित।
2. रैस्पो0 अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक :—21.10.2021

1. यह अपील इस न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर के निर्णय दिनांक 12.07.2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/रैस्पो0 संख्या 01 ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 संख्या 02 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 233, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 315, 234, 235 वाके ग्राम अघापुर तहसील भरतपुर में स्थित है जिसमें वादी रैस्पो0 संख्या 01 व प्रतिवादी रैस्पो0 संख्या 02 नक्षत्र सिंह वाहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार हैं एवं मनवट के आधार पर विवादित आराजी पर कब्जा काश्त हैं। परन्तु अब शामलात काश्त करना संभव नहीं हो पा रहा है। आये दिन फसल को लेकर झगडा फसाद होता रहता है। वादी/रैस्पो0 संख्या 01 मनवट के आधार पर आराजी खसरा नम्बर 239,

अखिलेश कुमार पिपल
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज0)

242, 243, 234, 235 समस्त पर एवं 233 में से 45 एयर पर काश्त करता चला आ रहा है। वादी/रैस्पो0 संख्या 01 ने जब विवादित आराजीयात का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन कराने की कहा तो वह साफ इंकारी हो गये। अतः वाद प्रस्तुत कर मनवट के आधार पर वादी/रैस्पो0 संख्या 01 के हिस्से व कब्जे की आराजी ख0न0 239, 242, 243, 234, 235 समस्त पर एवं 233 में से 45 एयर पर वादी का अलग से खाता कायम करने की प्रार्थना की गयी। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, प्रतिवादी/रैस्पो0 संख्या 02 को तलब किया। उन्होंनें न्यायालय में उपस्थित होकर इकबाल दावा प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दावा बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.07.2005 से डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 के साथ प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रार्थना पत्र धारा 96 सी0पी0सी0 में अपीलाण्ट का तर्क है कि विवादित आराजी, को अपीलाण्ट ने जरिये पंजीकृत वयनामा क्रय किया है एवं क्रय करने की दिनांक से विवादित भूमि एवं हिस्स पर अपीलाण्ट का कब्जा काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय में उन्हें पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है। अतः आक्षेपित आदेश दिनांक 12.07.2005 से उनके हित प्रभावित होते हैं। अपील पेश करने की अनुमति दी जावें। अतः धारा 96 सी0पी0सी0 के तहत अपील ग्रहण की गई।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बाबजूद सूचना रैस्पो0 हाजिर अदालत नहीं आये। उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर, बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये, बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय में रैस्पो0 द्वारा जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया गया है एवं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष गलत तथ्य रखकर अपीलाधीन डिक्री पारित करा ली है। अपीलाण्ट ने विवादित आराजी खसरा नम्बर 243, 244 का 1/2 हिस्सा रैस्पो0 संख्या 02 से जरिये पंजीकृत वयनामा क्रय किया है एवं क्रय करने की दिनांक से ही विवादित भूमि पर अपीलाण्ट का कब्जा काश्त है। परन्तु गलत इन्द्राजो के आधार पर रैस्पो0 ने विवादित आराजी को रैस्पो0 संख्या 06 व 07 को विक्रय कर दिया जो खिलाफ मौका व कानून है एवं उनके पक्ष में हुआ विक्रय भी नाजायज है। अतः अपीलाधीन आदेश से अपीलाण्ट के हितो पर कुठाराघात होता है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है।

5. हमने वहस अपीलाण्ट पर मनन किया एवं पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजीनामा का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध वयनामाओ के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाण्ट द्वारा विवादित आराजी को रैस्पो0 संख्या 02 लगायत 04 से क्रय किया है एवं उक्त विक्रय पत्रो के आधार पर अपीलाण्ट के हक में विवादित आराजी बाबत् नामान्तकरण संख्या 177 व 178 भी स्वीकृत किये गये हैं। रैस्पो0 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया है जिससे उन्हें अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का अवसर नहीं मिला है। परन्तु वर्तमान में प्रकरण में पक्षकारान के मध्य राजीनामा होकर, तस्दीक किया जाकर शामिल गिसल है। अतः हम अपील अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं कि उभयपक्ष को सुनकर एवं पत्रावली में प्रस्तुत

अखिलेश कुमार पिपल
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज0)

अभिलेखीय साक्ष्य के सन्दर्भ में राजीनामा का मूल्यांकन करते हुये एवं मुद्रांक व पंजीयन शुल्क को ध्यान में रखते हुये, पुनः विधि अनुरूप निर्णय पारित करें। लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 12.07.2005 अपास्त किये जाकर, प्रकरण उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठ भूमि में, पुनः विधि अनुरूप निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 30.11.2021 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें। पत्रावली फैशल शुमार की जाकर, नम्बर से कम की जावें तथा वाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय की प्रति एवं राजीनामा की प्रमाणित प्रति के साथ लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 21.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21.10.2021

(अखिलेश कुमार पिपल)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर